



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58218

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10460/2026

नूरजहां खातून

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ प्रतिनिधित्व एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह, गौरव सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अंजू श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंजू श्रीवास्तव को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि दिनांक 02.12.2025 के रेलवे दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय द्वारा दावेदार/याचिकाकर्ता के पक्ष में 80,000/- रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है, जो असमान, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह एक रेल दुर्घटना में वर्तमान याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु के लिए मुआवजा देने के उद्देश्य को विफल करता है।
3. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 05.06.2022 को हुई एक रेलवे दुर्घटना में, याचिकाकर्ता के बेटे मोहम्मद फतकन को घातक चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने 10.10.2022 को एक दावा याचिका दायर की। दुर्घटना की घटना के लगभग तीन साल बाद 02.12.2025 को यह निर्णय लिया गया है। फिर भी, उस निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को 8,00,000/- रुपये का आदेश दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को 80,000/- रुपये जारी करने का प्रावधान किया है और शेष राशि को तीन साल की अवधि के लिए सावधि जमा में जमा किया जाना है।

5. याचिकाकर्ता यांत्रिक तरीके से जारी करने के लिए निर्देशित पूरी तरह से अपर्याप्त राशि से व्यथित है। दिए गए कुल मुआवजे को देखते हुए, वर्तमान में 80,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी, हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि 8,00,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता पूरी राशि जारी करने की प्रार्थना करते हैं।

6. दूसरी ओर, रेलवे के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अधिनिर्णय के नब्बे प्रतिशत को जारी करने पर रोक लगाने का आदेश केवल याचिकाकर्तागण के हित में है क्योंकि ब्याज अर्जित होने पर तीन साल के बाद उन्हें अधिक राशि मिलने की संभावना है।

7. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, जबकि ऐसे मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, जहां अधिनिर्णय दिए जाने के समय आंशिक मुआवजा राशि जारी की जाती है और शेष राशि दावेदारों के लाभ के लिए निवेश की जाती है, एक ही समय में, इसे सभी मामलों में अंगूठे के नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें, व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों को ऐसे मामलों में विवेक के प्रयोग को निर्धारित करना चाहिए। जिस दावा-कर्ता ने अपने पुत्र को खो दिया है और जिस पर कुछ निर्भरता का दावा भी किया जा सकता है, उसे वर्षों तक प्रतिकर प्राप्त करने हेतु मुकदमेबाजी करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, और न ही उसे न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के कारण, जो कि कथित रूप से उसी के हित में बताया जाता है, उस प्रतिकर को प्राप्त करने के लिए और अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

8. इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा लागू किए गए उपरोक्त सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक उचित राशि जारी की जा सके।

9. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता मृतक की मां हैं, उसने मुआवजे के अधिनिर्णय के लिए मृत्यु की घटना से लगभग तीन साल तक इंतजार किया है। इस समय दिया गया मुआवजा भी अत्यधिक नहीं है, बल्कि 8,00,000/- रुपये की मामूली राशि है।

10. तदनुसार, दिनांक 02.12.2025 के अधिनिर्णय में संशोधन किया जाएगा।



11. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर आनुपातिक ब्याज के साथ प्रदान की गई राशि का 75% यानी 6,00,000/- रुपये याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाए। शेष राशि को तीन साल की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्चतम असर वाली सावधि जमा में निवेश और रखा जाएगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनिर्णय के अनुपालन में भुगतान की गई किसी भी राशि को इस आदेश के अनुसरण में जारी की जाने वाली राशि के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

14. इसके अतिरिक्त, यह आदेश याचिकाकर्तागण के प्रतिकर में वृद्धि का दावा करने के अधिकार से स्वतंत्र रूप से पारित किया गया है, यदि वे ऐसा करना उचित समझें।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम)

19 मार्च, 2026

नितिका श्री./ऋषभ